



जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय | DARBHANGA

शिक्षा विभाग, विहार सरकार, पटना

प्रमाण पत्र

*Received - Read
Mawj
Ranjan*



से

अध्यक्ष / व्यवस्थापक / प्रबंधक

केन्द्रीय मर्यादित शिक्षा बोर्ड, ०

शिक्षा केंद्र, २ लम्बूनिटी सेटर ०

विषय - बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम (Right to Education - RTE), 2009 की धारा 18 के प्रयोजनाएँ बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली के नियम 11 के उपनियम के अन्तर्गत विद्यालय की प्रस्तीक्ति का प्रमाण पत्र।

महालय,

आपके आवेदन पत्र दिनांक, 28-11-2021 और उसके काम में आपसे किये गये प्रवादार एवं विद्यालय के किये गए निरीक्षण के आलोक आपके विद्यालय DAV PUBLIC SCHOOL DARBHANGA, NEAR AYURVED COLLEGE, SARAMOHANPUR, 846007, कक्षा 1 से 8 तक संचालन हेतु तीन वर्ष 28-11-2021 से 28-11-2024 अवधि के लिए ओपेडिक प्रस्तीक्ति प्रदान की जाती है।

प्रदान प्रस्तीक्ति निम्न शर्तों के अनुपालन के अधीन होगी।

1. प्रस्तीक्ति कि किसी भी परिस्थिति में कक्षा 8 तक की सीमा के बाहर मान्य नहीं होगी।
2. विद्यालय बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 (अनुत्प्रक्र-1) तथा विहार राज्य मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली 2011 (अनुत्प्रक्र-2) का अनुपालन आवधक रूप से सुनिश्चित करेगा।
3. विद्यालय अपनी कक्षा 1 से बच्चों के नामांकन की कुत क्षमता का 25 प्रतिशत बच्चों का नामांकन अपने 3 करेगा। पड़ोस के कमज़ोर वर्ग एवं अल्पाभावी समूह के बच्चों का करेगा तथा उन्हें मुफ्त एवं अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा उसकी पूर्णता तक प्रदान करेगा, परन्तु यह कि पदि विद्यालय में पूर्व प्रारम्भिक कक्षाओं का संचालन हो रहा है, तो इस सानक का अनुपालन पूर्व प्रारम्भिक कक्षा के लिए भी किया जाएगा।
4. कक्षांक 3 से उद्युक्त बच्चों के मामूल में विद्यालय को बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम की धारा 12 की उपधारा 2 के आलोक में निर्धारित राशि की दरियूति की जाएगी। प्रतिदूरी की जानेवाली राशि की प्राप्ति के लिए विद्यालय अलग से बैंक खाता का संधारण करेगा।
5. जोगाईटी विद्यालय के द्वारा किसी प्रकार का कैपिटेल फीस नहीं प्राप्त किया जाएगा तथा किसी भी बच्चा उसके माता-पिता या अभिभावक का रवैनिंग हेस्ट नहीं किया जाएगा।
6. विद्यालय किसी बच्चे के नामांकन से उसके उप्र प्रमाण पत्र के अनुपत्त्यता नामांकन की विस्तारित अवधि के बाद तथा धर्म, जाति, जन्म स्थान आदि कारणों पा इसमे से किसी एक कारण के आधार पर इकार नहीं कर सकेगा।
7. विद्यालय के द्वारा निम्न कार्य सुनिश्चित किए जाएंगे।
 - (i) किसी भी नामांकित बच्चे को किसी भी कक्षा में रोककर नहीं रखा जाएगा और न ही किसी नामांकित बच्चा को प्रारम्भिक शिक्षा पूरी होने तक विद्यालय से निष्कासित किया जाएगा।
 - (ii) किसी भी बच्चे को शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा तथा मानसिक रूप से प्रताङ्कित नहीं किया जाएगा।
 - (iii) किसी भी बच्चे को प्रारम्भिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी भी प्रकार के बोर्ड परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी।
 - (iv) प्रारम्भिक शिक्षा पूरी करने वाला प्रायोक बच्चा को नियम 22 के आलोक में प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा।
 - (v) अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में विकलाग / विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का समावेशन किया जाएगा।
 - (vi) किसी बच्चे की नियोजन अधिनियम की धारा 23 की उपधारा में उनके लिए निर्धारित योग्यता के अनुसुल्य किया जाएगा।
 - (vii) विद्यालय अविद्यारित की धारा 24 की उपधारा 1 में द्वावधारित शिक्षकों के द्वावित्त लाने के लिए दिन कोरोने।
 - (viii) विद्यालय नियमी द्वारा इसकि सी भी द्रव्याकारी शिक्षय पर्यावरण में सत्त्व नहीं हो।
8. विद्यालय राज्य भाषावार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एवं पाठ्यधर्यों का अनुसारण करेगा।
9. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 के प्रावधानो के आलोक में उपलब्ध शुविधाओं के आनुपातिक रूप से छात्रों का नामांकन करेगा।
10. विद्यालय अधिनियम की धारा 13 में उद्युक्त भानको एवं मानदंडों को बरकरार रखेगा। विद्यालय के अतिम निरीक्षण के समय उपत्यका सविधाओं का विवरण नियुक्त।

(i) विद्यालय परिसर का सेवणात् - 9388

(ii) कुप्रति निश्चित दैवत - 9388

(iii) छोले के मैदान के हेतु :- Classrooms, Laboratory, Computer Lab, Library, ATP, Playground, Drinking Water, Tap Water etc.

(iv) बर्ग कक्षों की कुप्रति संख्या - 50

(v) प्रशान्तिपालन-सह जार्यालय सह-भेटार कक्षा - 5

(vi) दालक हथा दालिकाएँ के लिये अलग-अलग शौचालय - Both Indian and Western , Boys - 48 , Girls 46

(vii) ऐपजल वी सुविधा - 60

(viii) मध्याह्न भोजन के लिये रसोई घर - 1

(ix) बाधरहित पट्ट्या - 1

(x) शिक्षण उपचार सामग्री/ खेल-कुद उपकरण/पुस्तकालय :- Pictures, Videos, Charts, Models, Educational Toys, Flash Cards, Digital Board, Internet etc., Football, Volleyball, Badminton, Table Tennis, Cricket Kit, Jablin, Discuss Throw, Ludo, Carom Board, Y , 999 , NewsPaper MagaZine + E]

11. कोई भी अपर्दीकृत दर्गाका विद्यालय परिवर्त में या बाहर विद्यालय के नाम से संबंधित नहीं होगा।

12. विद्यालय भवन अथवा अन्य सरकारी अथवा भेदान का उपयोग केवल शिक्षा तथा कौशल विकास के लिए होगा।

13. विद्यालय सोसाईटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अन्तर्गत निर्विधित सोसाईटी के द्वारा अथवा किसी निर्धारित समय में लागू कानून के तहत गठित किसी प्रक्रिया द्वारा के माध्यम से 13 संघातित होगा।

14. विद्यालय किसी व्यक्ति, समूह अथवा व्यक्तियों के संघ अथवा किसी अन्य व्यक्तियों के ताम्र के लिए संचातित नहीं होगा।

15. हेठो का अकेल्हन एवं उसका इनामीकरण चार्टर्ड एकाउन्टेंट के द्वारा किया जाएगा और निर्धारित विषमी के आतोक में उपर्युक्त सेखा विवरणी तैयार की जाएगी। पर्येक विद्यालय की एक इष्ट प्रतिवर्द्ध विद्या अधीक्षक को भेजी जाएगी।

16. अपार्टमेंट विद्यालय को आवृद्धि अन्वेषित बोठ संख्या [215118420211122110904, 2021] है। इस कार्यालय से इसी प्रकार का प्रशादार करने में इस बोठ को अकिञ्चित एवं उद्दृष्टि किया जाए।

17. निदेशक प्राधिक शिक्षा / जिता शिक्षा प्रदापिकरी के द्वारा समय-समाय "माँग किए गए प्रतिवेदन एवं सूचनाएँ, विद्यालय के द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी और राज्य सरकार के स्वर प्रस्तीकृति दी गयी के ताकातार रूप से पूरा करने की सुनिश्चितता हेतु अथवा विद्यालय संचालन से संबंधित कठिनाईयों को द्वारा करने हेतु समय-समय पर निर्धारित अनुदंडों का अनुशालन विद्यालय के द्वारा किया जाएगा।

18. इष्ट सोसाईटी के निवास के नवीकरण की किसी प्रकार भी आवश्यकता है तो उसे सुनिश्चित किया जाए।

19. अनुत्तरक III के रूप में संतान अन्य यत्ने

विद्यालय भाजन

ह० ।

जिला कार्यक्रम प्रदापिकारी, DARBHANGA
सह-सविव प्रस्तीकृत समिति
शिक्षा विभाग, विहार सरकार